मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 (फाल्गुन 11, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:06 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 91 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 114 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की रीवा जिले के विकासखण्ड गंगेव में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने,
(2) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की विधानसभा राजनगर में विद्युत प्रदाय में बार-बार कटौती की जाने,
(3) श्री पुरूषोतम लाल तंतुवाय, सदस्य की विधान क्षेत्र हटा के पटेरा विधानसभा में कुसमी गाडाघाट के पास पडरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
(4) श्री महेश परमार, सदस्य की प्रदेश में स्मार्ट मीटर बदलने की आड़ में पुराने मीटर बदल कर अवैध वसूली की जाने,
(5) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, सदस्य की जिला देवास के बागली ब्लाक में निवासरत रहवासियों के विगत चार-पांच माह से बिजली के मीटर न लगाये जाने,
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश की आंगनबाडी केंद्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बेहद कम मानदेय मिलने,
(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने,
(8) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव , सदस्य की विदिशा जिला अंतर्गत बीपीएल राशन कार्डधारी एवं पर्ची के पात्र हितग्राहियों को कई माह से चावल प्रदाय न किये जाने,
(9) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी एवं आस-पास के जिलों के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु सिवनी नगर मुख्यालय में परीक्षा केंद्र को प्रारंभ कराये जाने तथा
(10) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्य की कटनी जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 67 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, एवं

(ख) मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2023 पटल पर रखी.

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान उमरिया, नीमच, ग्वालियर, दमोह, सिंगरौली, झाबुआ एवं पन्ना के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखे.

(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(6) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने –

(क) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2020-21, एवं

(ख) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

(7) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखे.

(8) श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखा.

(9) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे, वर्ष 2021-22 पटल पर रखे.

(10) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021 पटल पर रखा.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी को अवगत कराया कि एक तरफ केन्द्र सरकार चीन के एप एवं अन्य सामानों पर प्रतिबंध लगाती है वहीं दूसरी ओर माननीय सदस्यगण को चीन से असेम्बल्ड टैबलेट प्रदाय किये गए हैं. इसलिये मैं इस टैबलेट को विधान सभा को वापस कर रहा हूँ. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों को दिया गया टैबलेट एप्पल कंपनी का है. जिसके पूरे विश्व में प्रतिष्ठान हैं इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इसमें वापस करने की आवश्यकता नहीं है.

(2) आसंदी द्वारा श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री के जन्म दिन पर उन्हें अपनी और सदन की ओर से शुभकामनाएं दी गई.

5. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के लहार में विद्युत सामग्री के चोरी प्रकरण पर कार्यवाही न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने कटनी जिले में स्थित सीमेंट प्लांट एवं कुटेश्वर सेल माइन्स द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार न दिये जाने की ओर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने चर्चा का उत्तर दिया.

6. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए.

(1) श्री मेवाराम जाटव (जिला-भिण्ड)
(2) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(3) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(4) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(5) श्री मुकेश रावत (जिला-अलीराजपुर)
(6) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(7) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(8) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(9) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(10) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(11) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)
(12) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(13) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(14) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(15) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(16) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(17) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(18) श्री प्रागीलाल जाटव (जिला-शिवपुरी))
(19) श्री घनश्याम सिंह (जिला-दतिया)
(20) श्री भूपेन्द्र मरावी (जिला-डिण्डौरी)

(21) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी (जिला-खरगोन)
(22) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(23) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(24) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(25) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री विजयपाल सिंह, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2023 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 3	श्री विक्रम सिंह	30 मिनट
2.	क्रमांक -20	श्री संजय यादव	30 मिनट
3.	क्रमांक-29	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया	30 मिनट
3.	क्रमांक-31	डॉ. सीतासरन शर्मा	30 मिनट

श्री विजयपाल सिंह ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. अध्यक्षीय घोषणा
चांवल एवं गुड़ का वितरण सूचना कार्यालय से किया जाना

अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि - श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सदस्य द्वारा तुलसीधाम बालाघाट का बिना किसी रसायन तत्व के जी.आई.टैक प्राप्त जैविक प्राकृतिक रूप से उगाये गये सुगंधित चिन्नौर चांवल एवं गुड़ बट्टी माननीय सदस्यों को भेंट की जा रही है. माननीय सदस्यों उक्त उत्पाद सूचना कार्यालय से प्राप्त करने का कष्ट करें.

9. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर 28 फरवरी, 2023 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया :-

(17) श्री लक्ष्मण सिंह

सभापति महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लाबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (क्रमशः)

(18) डॉ. सीतासरन शर्मा
(19) श्री जितू पटवारी

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा द्वारा अपने भाषण में विषय से हटकर कथन करने से सत्तापक्ष द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई.

व्यवधान के कारण सभापति महोदया द्वारा सदन की कार्यवाही अपराह्न 1.33 बजे से 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 1.43 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

सभापति महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा शालीनतापूर्वक चर्चा पूर्ण करने में सहयोग हेतु समझाईश दी गई किन्तु श्री जितू पटवारी द्वारा एक अप्रासंगिक कहानी सुनाने, अप्रमाणित एवं व्यंगात्मक कथनों के कारण पुन: व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही 2.20 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 2.35 बजे पुन: समवेत हुई.

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा सदन में कथन किया गया कि पिछले सत्र में यह जानकारी चाही गई थी कि सरकार ने कहां- कहां खाना खिलाया उसके बिल दे., किन्तु इसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई है. जामनगर गुजरात में रिलायंस के चिड़ियाघर में मध्यप्रदेश सरकार ने बाघ, शेर, लोमड़ी व घड़ियाल भेजे, बदले में वहां से छिपकली, चिड़िया, तोते, भेड़ एवं बकरी लिये गये. यह मेरे विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में आया है जिसको मैं पटल पर रख सकता हूँ. इस पर डॉ नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि यह असत्य बोल रहे है, इनके खिलाफ विशेषाधिकार लाना चाहिए, साथ ही आसंदी के माध्यम से मांग की गई कि जो इन्होंने आरोप लगाये हैं उनको सदन के पटल पर प्रमाणित करके रखें. श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा विधान सभा के अधिकारियों को कागज पटल पर रखने हेतु सौंपे गए. परन्तु मौखिक व लिखित कथन में भिन्नता होने से पक्ष-विपक्ष के अनेक सदस्यगण खड़े होकर एक साथ बोलने के कारण व्यवधान में अपनी बात कहते रहे. व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही 3.08 बजे से 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 4.08 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

12. निलम्बन का प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री का श्री जितू पटवारी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य का सदन की शेष बैठकों से निलबंन का प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "आज कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा अपने कथन में अनेक आरोप लगाये गये. इसके संबंध में जब आसंदी से सत्ता पक्ष के सदस्यों की मांग अनुसार अपने कथन के परिप्रेक्ष्य में लिखकर पुष्टि करने के लिए समय दिया गया, तब माननीय सदस्य द्वारा बिना स्पष्ट तथ्य के कथन से भिन्न पत्र लिखकर दिया गया इससे स्पष्ट है कि श्री पटवारी द्वारा सदन में सनसनी फैलाने के लिए भ्रामक कथन किये गये, जिससे सदन की गरिमा भंग होने के साथ ही सदन का काफी समय जाया हुआ.

अत: उक्त सदस्य के इस कदाचरण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव करता हूँ कि श्री जितु पटवारी को इस सदन की शेष बैठकों के लिए निलंबित किया जाए."

अध्यक्ष महोदय ने डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा दिए गए निलंबन के प्रस्ताव पर सदन का मत लिया.

ध्वनिमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 4.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2023 (12 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 2 मार्च, 2023